न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 09/2011

अपीलार्थी	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
श्री बाबूसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. श्री वीसा पुत्र श्री गणेशराम जाति छीपा निवासी वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 2. श्री नारायणलाल पुत्र श्री गणेशराम जाति छीपा निवासी वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 3. श्री हीरा पुत्र श्री रता जाति छीपा निवासी वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 4. श्री बाबू पुत्र श्री जवाना जाति छीपा निवासी वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 5. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री जवाना जाति छीपा निवासी वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पिण्डवाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
3. नायब तहसीलदार(पेरोकार राज)

निर्णय

दिनांक : 15.04.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 1/2009 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किये गये एवं अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:44 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। [illegible] अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया [illegible] तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अपीलार्थी के खसरा संख्या 321 में [illegible] निकालने का आदेश दि[illegible] है जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट [illegible] कोई नोटिस तामिल [illegible]वाया है एवं बिना सुनवाई के निर्णय पारित करने मे कानूनी भूल की है । रेस्पोडेन्ट ने खसरा संख्या 303 से 306, 308, 310, 317 से 319 व 327 से 331 में जाने हेतु अपीलांट के

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

खसरा संख्या 321 में से रास्ता निकालने हेतु एक प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम पचायत वाटेरा को प्रस्तुत किया जिसे अग्रिम कार्यवाई हेतु उपतहसीलदार भावरी को भेजा गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर व जवाव प्रस्तुत किए बिना ही मौका फर्द बनाई जो स्थिति के बिल्कुल ही विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 23.02.2011 में भी पक्षकारान को अनुपस्थित बताया है। रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य रास्ता बना हुआ है एवं उसी रास्ते से वह जाते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी भूमि के वीचों–वीच रास्ता मानने में कानूनन भूल की है। यह निर्णय कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा बहस मे निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 303 से 306, 308, 310, 317 से 319 व 327 से 331 में जाने हेतु रास्ता बन्द था। अपीलांट द्वारा रास्ता रोकने के कारण रेस्पोडेन्ट ने ग्राम पंचायत, वाटेरा में रास्ता दिलवाए जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को भेजने से समस्त पक्षों को नोटिस जारी कर बाद सुनवाई जो आदेश पारित किया गया है उसमे कोई त्रुटी नही की गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील खारिज करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे कोई त्रुटी नही की गई है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

हमनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में खातेदारी की दर्ज है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण की कृषि भूमि, ग्राम पंचायत वाटेरा में स्थित है। रेस्पोडेन्टगण को अपने कृषि भूमि मे जाने के लिए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से होकर जाने का रास्ता अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शे को देखने पर प्रतीत होता है कि उक्त प्रकरण में अपीलांट की खातेदारी के बीचों–बीच रास्ता दिया गया है जिससे केवल एक व्यक्ति अपीलांट को क्षति हुई है। अतः अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करना न्याय संगत होगा। चूंकि वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(क) के तहत उपखण्ड अधिकारी को शक्तियाँ प्रदत्त है। अतः अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(क) के उपखण्ड अधिकारी को पेश करे। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner